नीलामी सूचना : वर्ष 2024–2025

वाह्य न्यायालय कुण्डा (नवीन परिसर), प्रतापगढ़।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु वाह्य न्यायालय कुण्डा, प्रतापगढ़ के नवीन परिसर में कैन्टीन की नीलामी दिनांक 02.04.2024 को समय अपराह्न 04.30 बजे होगी।समस्त इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित आकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. नीलामी में बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000/– रूपये जमानत धनराशि के रूप में नीलामी से पूर्व जमा करना होगा।

2. बोली की न्यूनतम धनराशि एक वर्ष के लिए 1,60,000/– रूपये होगी।

3. जिस व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक धनराशि की बोली बोली जायेगी, उसे कुल धनराशि का 1/3 भाग अग्रिम के रूप में तुरन्त जमा करना होगा।

4. नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के अनुमोदन के पश्चात् जमा करनी होगी।

5. जिस व्यक्ति को नीलामी प्राप्त नहीं होती है, उनकी जमानत धनराशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

6. कैन्टीन के भौतिक स्वरूप को बिना किसी पूर्व अनुमति के परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

7. कैन्टीन में लगे विद्युत संयोजन व उसके बिल का खर्चा कैन्टीन लेने वाले के द्वारा देय होगा।

8. न्यायालय परिसर में किसी भी किसी भी अखाद्य पदार्थ जैसे– बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान व मसाला इत्यादि का विक्रय नहीं किया जायेगा।

9. न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों का विक्रय नहीं किया जायेगा।

10. कैन्टीन चलाने के फलस्वरूप न्यायालय परिसर में फैली गन्दगी की सफाई की समस्त जिम्मेदारी नीलामी प्राप्तकर्ता की होगी।

11. कैन्टीन चलाते समय यदि उसमें कार्यरत स्टाफ के साथ कोई दुर्घटना कारित होती है, तो उसकी भरपाई कैन्टीन संचालक उसका स्वयं उत्तरदायी होगा तथा न्यायिक संस्थान की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. खाद्य पदार्थ की बिकी उचित दर पर की जायेगी।

13. यदि कैन्टीन के संचालन के कार्यों से कैन्टीन के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी भरपाई कैन्टीन संचालक द्वारा न्यायालय प्रतिष्ठान को की जायेगी।

14. कैन्टीन चलाने की संविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर कैन्टीन का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

15. ठेका 31 मार्च 2025 तक प्रवर्तनीय रहेगा, जो ठेका उठाने की तिथि से प्रारम्भ होगा।

16. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त करके या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से कर देंगे।

17. नीलामी के शर्त एवं प्रतिबन्ध माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हो।

ह0	ह0	ह0
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
सुनीला सिंह नागौर	**कुंदन किशोर**	**आलोक द्विवेदी**
अपर जिला जज कक्ष सं0 03	अपर जिला जज कक्ष सं0 06	विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नजारत कुण्डा, नजारत लालगंज अझारा एवं नजारत प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाए।